मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश)

विशेषाधिकार समिति

का

प्रथम प्रतिवेदन

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म. प्र. विधान सभा द्वारा, श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध गमछा, कमंडल एवं घंटी सदन में लाने और पटल पर रखने के संबंध में दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन.

(दिनांक 18 मार्च, 2016 को विधान सभा में प्रस्तुत)

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2016

मध्यप्रदेश विधान सभा

(चतुर्दश)

विशेषाधिकार समिति

का

प्रथम प्रतिवेदन

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म. प्र. विधान सभा द्वारा, श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध गमछा, कमंडल एवं घंटी सदन में लाने और पटल पर रखने के संबंध में दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन.

(दिनांक 18 मार्च, 2016 को विधान सभा में प्रस्तुत)

विषय–सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	(दो)
2.	प्राक्कथन तथा प्रक्रिया	(तीन)
3.	प्रकरण के तथ्य	1
4.	पत्राचार एवं स्पष्टीकरणात्मक टीप	1–2
5.	समिति का निष्कर्ष एवं अनुशंसा	3–4
	परिशिष्ट :	
	1. प्रकरण के संबंध में सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था। (परिशिष्ट – एक)	5
	2. तत्कालीन समिति के सदस्यों की सूची (परिशिष्ट – दो)	6
	3. डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म.प्र. विधान सभा से प्राप्त सूचनाएं (परिशिष्ट – तीन, चार एवं पांच)	7–13
	4. श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधान सभा से प्राप्त स्पष्टीकरण (परिशिष्ट – छह एवं सात)	14–17
	5. श्री बाला बच्चन, सदस्य, म.प्र. विधान सभा से प्राप्त स्पष्टीकरण (परिशिष्ट – आठ एवं नौ)	18–19

मध्यप्रदेश विधान सभा

विशेषाधिकार समिति का गठन

(वर्ष 2015–2016)

(गठन दिनांक 12 अगस्त, 2015)

सभापति :

1 श्री कैलाश चावला

सदस्य :

2. श्री रामनिवास रावत
3. श्री बाला बच्चन
4. श्री मुकेश नायक
5. श्री जयसिंह मरावी
6. श्री संजय पाठक
7. श्री संजय शर्मा
8. श्री सज्जन सिंह उइके
9. श्री कल्याण सिंह ठाकुर
10. श्री सूर्य प्रकाश मीना

विधान सभा सचिवालय :

1. श्री भगवानदेव ईसरानी	प्रमुख सचिव
2. श्री ए. पी. सिंह	सचिव
3. श्री पुनीत श्रीवास्तव	संचालक
4. श्री अनवारूददीन काज़ी	सहायक संदर्भ अधिकारी

प्राक्कथन तथा प्रक्रिया

मैं, कैलाश चावला, विशेषाधिकार समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर चतुर्दश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म.प्र. विधान सभा द्वारा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्व गमछा, कमंडल एवं घंटी सदन में लाने और पटल पर रखने के संबंध में विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई थी। जिसे माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा सदन में दी गई व्यवस्था अनुसार **(परिशिष्ट – एक)** दिनांक 15 जुलाई, 2014 को जांच हेतु समिति को सौंपा गया था।

इस संबंध में तत्कालीन समिति **(परिशिष्ट – दो)** द्वारा संबद्ध पक्षों से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किए गये एवं समिति ने बैठक दिनांक 17.07.2014, 22.07.2014, 20.08.2014, 03.09.2014, 22.09.2014, 07.10.2014, 28.10.2014 एवं 01.07.2015 में उन पर विचार किया।

वर्तमान समिति ने इस प्रकरण पर पुनर्विचार कर दिनांक 15.03.2016 को प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे स्वीकार किया और माननीय सभापति को प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

यह समिति इस प्रकरण में पूर्ववर्ती समिति द्वारा किए गए कार्य के लिए आभार व्यक्त करती है।

हस्ता./–

कैलाश चावला
सभापति,
विशेषाधिकार समिति

प्रकरण के तथ्य

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, म.प्र. विधान सभा द्वारा नियम–164 के अंतर्गत पृथक–पृथक दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं में उल्लेख किया गया कि दिनांक 9 जुलाई, 2014 को जब सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी तब श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश किया। श्री बाला बच्चन, सदस्य ने कमंडल, घंटी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रखा। माननीय सभापति/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह सब करने से मना किया गया।

श्री कटारे बिना अनुमति के सदन में ये वस्तुएं लेकर आए और उनका प्रदर्शन किया तथा श्री बाला बच्चन द्वारा बिना अनुमति उन्हें सदन के पटल पर रखा गया जो न केवल आपत्तिजनक है अपितु सदन के विशेषाधिकार को भी भंग करता है। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। **(परिशिष्ट – तीन, चार एवं पांच)**

पत्राचार एवं स्पष्टीकरणात्मक टीप

उक्त प्रकरण के संबंध में श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य, म.प्र. विधान सभा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पत्र भेजे गये।

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र दिनांक 21.09.2014 में लेख किया कि उन्होंने वस्तुएं सदन के पटल पर नहीं रखीं। भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश करने के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सदन ही नहीं अपितु संसद और अन्य राज्य विधान मंडलों के सदनों में भी पक्ष–विपक्ष के सदस्य इस तरह से प्रदर्शन करते हैं और इसे विरोध के तरीके के रूप में ही मान्य किया गया है। कई बार सदस्य गर्भगृह में आते हैं, नारेबाजी करते हैं। हालाँकि

नियमों में ऐसा करना वर्जित है तथापि प्रदर्शन होते हैं किंतु इसे विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाता। **(परिशिष्ट – छह)**

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने अपने एक अन्य पत्र दिनांक 28.10.2014 में लेख किया कि उनका उद्देश्य सदन अथवा सदन के किसी माननीय सदस्यों की भावना को आहत करने का नहीं था, फिर भी यदि सदन या किसी माननीय सदस्य की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें खेद प्रकट करने में आपत्ति नहीं है। खेद प्रकट करने के उपरांत उनके द्वारा प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध भी पत्र में किया गया। **(परिशिष्ट – सात)**

श्री बाला बच्चन ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2014 में उल्लिखित किया कि सदन की कार्यवाही से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई भी वस्तु जो कि वांछित नहीं है सदन में लेकर प्रवेश नहीं किया गया। उक्त दिनांक को वे सदन में अपने प्रश्नों से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर रहे थे तथा उन्हें अनुदान की मांगों पर बोलना था, इसलिए वे तथ्यों का परीक्षण अपनी सीट पर ही बैठकर कर रहे थे, संभवतः उसी समय किसी माननीय सदस्य ने उन्हें कोई छोटी–मोटी वस्तु दी जिसे उनके द्वारा बिना किसी दुर्भावना अथवा इरादे के बिना देखे वहीं उपस्थित किसी कर्मचारी को दे दिया, सदन के पटल पर नहीं रखा। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया कि ऐसा कोई कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया जिससे आसंदी का कोई असम्मान हो अथवा विशेषाधिकार भंग हो। **(परिशिष्ट – आठ)**

श्री बाला बच्चन ने अपने एक अन्य पत्र दिनांक 07.10.2014 में लेख किया कि उनका सदन की किसी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना अथवा सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं रहा, किंतु यदि समिति ऐसा महसूस करती है तो वह इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। **(परिशिष्ट – नौ)**

समिति की बैठक दिनांक 15.03.2016 में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

समिति का निष्कर्ष एवं अनुशंसा :–

समिति ने इस प्रकरण से जुड़े समस्त तथ्यों पर विचार किया तथा समिति ने श्री कटारे द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का अनुशीलन किया। श्री कटारे ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने वस्तुएं सदन के पटल पर नहीं रखीं। समिति ने दिनांक 9 जुलाई, 2014 की कार्यवाही के सुसंगत अंशों का भी अवलोकन किया और यह पाया कि सदन की कार्यवाही अनुसार नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में भगवा तौलिया ओढ़कर आने का उल्लेख है और वस्तुएं उनके द्वारा सदन के पटल पर रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं हैं। श्री कटारे ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया है कि संसद व अन्य विधान मंडलों में भी पक्ष–विपक्ष के सदस्य इस तरह के प्रदर्शन करते हैं और इसे विरोध के तरीकों के रूप में ही मान्य कियां जाता है। हालांकि नियमों में ऐसा करना वर्जित है किंतु इसे विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाता। इस संबंध में उन्होंने कौल एवं शकधर की पुस्तक (संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया) का तीसरा हिन्दी संस्करण वर्ष 2012 के पृष्ठ 338 के पांचवें पैरे का भी हवाला दिया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि **" नियमों, परिपाटियों तथा प्रथाओं के उल्लंघन को विशेषाधिकार हनन नहीं माना जाता।"** समिति भी यह मानती है कि सदन में इस तरह के अवसर कई बार आते हैं। अतः उन्हें विशेषाधिकार हनन के रूप में न लेकर नियमों के उल्लंघन के रूप में लिया जाना चाहिए। श्री कटारे ने स्पष्टीकरण के साथ इस संबंध में खेद व्यक्त करते हुए प्रकरण को समाप्त किये जाने का भी अनुरोध किया है।

श्री बाला बच्चन ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 16.9.2014 में उल्लिखित किया है कि सदन की कार्यवाही से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई भी वस्तु जो कि वांछित नहीं है, सदन में लेकर प्रवेश नहीं किया गया। कमण्डल, घंटी और भगवा वस्त्र के पटल पर रखने के संबंध में श्री बाला बच्चन ने अपने पत्र में लेख किया है कि

उनको अनुदान की मांगों पर बोलना था, इसलिए वे तथ्यों का परीक्षण अपनी सीट पर ही बैठकर कर रहे थे, संभवतः उसी समय किसी माननीय सदस्य ने उन्हें कोई छोटी–मोटी वस्तु दी जिसे उनके द्वारा बिना किसी दुर्भावना अथवा इरादे के बिना देखे वहीं उपस्थित किसी कर्मचारी को दे दिया, सदन के पटल पर नहीं रखा। वो वस्तु कर्मचारी ने लेकर कहां रखी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त था। इस संबंध में समिति ने यह अवधारित किया कि श्री बाला बच्चन द्वारा दुर्भावनावश या जानबूझकर ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे सदन का विशेषाधिकार भंग हो।

श्री बाला बच्चन ने अपने अन्य पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उनका सदन की किसी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने अथवा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने को कोई इरादा नहीं रहा है किंतु यदि समिति महसूस करती है तो वे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं।

उपरोक्त तथ्यों और संबंधित नेता एवं उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा खेद व्यक्त करने के प्रकाश में इस प्रकरण में अब और कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अतः समिति प्रकरण को समाप्त करने की अनुशंसा करती है।

हस्ता./–

कैलाश चावला
सभापति
विशेषाधिकार समिति

परिशिष्ट ''एक''

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय -- दिनांक 10 जुलाई 2014 को डॉ.नरोत्तम मिश्रा, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्रीमण एवं सदस्य सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया श्री शैलेन्द्र जैन और शंकर लाल तिवारी की ओर से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे तथा श्री बाला बच्चन, सदस्य विधानसभा के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचनायें प्राप्त हुई थीं. दिनांक 10 जुलाई 2014 को मैंने डॉ. नरोत्तम मिश्रा से प्राप्त सूचना को सदन में पढ़ा था उस पर माननीय सदस्यों के विचार सुने थे . विचार सुनने के बाद इस विषय में मैंने अपनी व्यवस्था बाद में देने का उल्लेख किया था. तदनुसार मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं.

यह सदन नियम प्रक्रियाओं और परम्पराओं से चलता है और उनके पालन की अपेक्षा सभी माननीय सदस्यों से की जाती है. यह भी आशा की जाती है कि इन्हीं के अनुरूप सदन में कार्य एवं सदस्यों का आचरण और व्यवहार होगा. इनके उल्लंघन अथवा अवहेलना से न केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है बल्कि संसदीय मर्यादाएं और शिष्टाचार भी आहत होता है. इसके साथ ही इनके उल्लंघन से सदन की अवमानना और विशेषाधिकारों का भी हनन होता है.

माननीय सदस्यों से प्राप्त सूचनाओं और दिनांक 10 जुलाई 2014 को माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में इस विषय में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार भंग का मामला अंतर्ग्रस्त है.

अत: मैं इस प्रकरण को जांच , अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (श्री लाल सिंह आर्य) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं. पहली बार सदन में ऐसा हुआ है कि आपने कोई व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के खिलाफ बहिर्गमन किया है.

अध्यक्ष महोदय-- बात खत्म हो गई है. अब बात समाप्त हो गई है. बैठें.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष की तो निंदा के भी नारे लगाये हैं आप लोगों ने, थोड़ी शर्म करो लाल सिंह, प्रोसीडिंग उठाओ. बोलूं

अध्यक्ष महोदय-- मत बोलिये आप.

परिशिष्ट ''दो''

मध्यप्रदेश विधान सभा

विशेषाधिकार समिति का गठन

(वर्ष 2014–2015)

(गठन दिनांक 11 फरवरी, 2014)

सभापति :

1. श्री केदारनाथ शुक्ला

सदस्य :

2. श्री शैलेन्द्र जैन
3. पं. रमेश दुबे
4. श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
5. श्री मानवेन्द्र सिंह
6. श्री ओमप्रकाश धुर्वे
7. चौधरी चन्द्रभान सिंह
8. श्री आरिफ अकील
9. श्री रामनिवास रावत
10. श्री मुकेश नायक

परिशिष्ट ''तीन''

प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल.

विषय:- विशेषाधिकार भंग की सूचना ।

महोदय,

मैं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 164 के अंतर्गत माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा एवं श्री बाला बच्चन सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा के विरूद्ध निम्नानुसार विशेषाधिकार भंग की सूचना देता हूँ :-

~~आज~~ दिनांक 9 जुलाई, 2014 को सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी और आसंदी पर माननीय सभापति श्री मानवेन्द्र सिंह आसीन थे । उस समय जब माननीय श्री गिरीश गौतम अपना भाषण दे रहे थे तब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे ने भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश किया ।

माननीय श्री बाला बच्चन सदस्य ने कमंडल, घंटी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रखा ।

माननीय सभापति जी /उपाध्यक्ष- द्वारा सदन में यह सब करने से मना भी किया गया ।

माननीय कटारे जी बिना अनुमति के सदन में ये वस्तुएं लेकर आए और उनका प्रदर्शन किया तथा श्री बाला बच्चन द्वारा बिना अनुमति उन्हें सदन के पटल पर रख गया ।

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में इस तरह से सदन में वस्तुओं को लाना या उनका प्रदर्शन करना वर्जित है । निश्चित रूप से श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन ने जो कृत्य किया है वह न केवल आपत्तिजनक है अपितु सदन के विशेषाधिकार को भी भंग करता है ।

अत: मैं श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना देते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ ।

संलग्न : दिनांक 9.7.2014 की कार्यवाही ।

भवदीय,

भोपाल.
दिनांक : 9-7-14

(हस्ताक्षर)

परिशिष्ट "चार"

प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल.

विषय:- विशेषाधिकार भंग की सूचना ।

महोदय,

मैं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 164 के अंतर्गत माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा एवं श्री बाला बच्चन सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा के विरूद्ध निम्नानुसार विशेषाधिकार भंग की सूचना देता हूँ :-

आज दिनांक 9 जुलाई, 2014 को सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी और आसंदी पर माननीय सभापति श्री मानवेन्द्र सिंह आसीन थे । उस समय जब माननीय श्री गिरीश गौतम अपना भाषण दे रहे थे तब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे ने भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश किया ।

माननीय श्री बाला बच्चन सदस्य ने कमंडल, घंटी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रखा ।

माननीय ~~सभापति~~ जी द्वारा सदन में यह सब करने से मना भी किया गया ।

माननीय कटारे जी बिना अनुमति के सदन में ये वस्तुएं लेकर आए और उनका प्रदर्शन किया तथा श्री बाला बच्चन द्वारा बिना अनुमति उन्हें सदन के पटल पर रख गया ।

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में इस तरह से सदन में वस्तुओं को लाना या उनका प्रदर्शन करना वर्जित है । निश्चित रूप से श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन ने जो कृत्य किया है वह न केवल आपत्तिजनक है अपितु सदन के विशेषाधिकार को भी भंग करता है ।

अत: मैं श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना देते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ ।

संलग्न : दिनांक 9.7.2014 की कार्यवाही ।

भवदीय,

भोपाल.
दिनांक :

परिशिष्ट ''पांच''

प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल.

विषय:- विशेषाधिकार भंग की सूचना।

महोदय,

मैं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 164 के अंतर्गत माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा एवं श्री बाला बच्चन सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा के विरूद्ध निम्नानुसार विशेषाधिकार भंग की सूचना देता हूँ :-

आज दिनांक 9 जुलाई, 2014 को सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी और आसंदी पर माननीय सभापति श्री मानवेन्द्र सिंह आसीन थे। उस समय जब माननीय श्री गिरीश गौतम अपना भाषण दे रहे थे तब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे ने भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश किया।

माननीय श्री बाला बच्चन सदस्य ने कमंडल, घंटी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रखा।

माननीय सभापति जी द्वारा सदन में यह सब करने से मना भी किया गया।

माननीय कटारे जी बिना अनुमति के सदन में ये वस्तुएं लेकर आए और उनका प्रदर्शन किया तथा श्री बाला बच्चन द्वारा बिना अनुमति उन्हें सदन के पटल पर रख गया।

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में इस तरह से सदन में वस्तुओं को लाना या उनका प्रदर्शन करना वर्जित है। निश्चित रूप से श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन ने जो कृत्य किया है वह न केवल आपत्तिजनक है अपितु सदन के विशेषाधिकार को भी भंग करता है।

अत: मैं श्री कटारे एवं श्री बाला बच्चन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना देते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ।

संलग्न : दिनांक 9.7.2014 की कार्यवाही।

भवदीय,

भोपाल.
दिनांक :

जारी....श्री गिरीश गौतम

हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने प्रदेश की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं. तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं ,उसमें अभी निराश्रित पेंशन को आधार बनाया जाता है. जिसका कोई न हो, लड़के न हों, बच्चे न हों तभी उसको माना जाता है या बी.पी.एल. की शर्त रहती है. इसमें भी मेरा निवेदन है कि दोनों शर्तों को हटाने की आवश्यकता है. एक तो जो बी.पी.एल. का होना जरूरी है वह भी हटा लें और दूसरा ये कि उसके बच्चे यदि हैं तो उस शर्त को भी हटाने की आवश्यकता है. मेरा सुझाव यह है कि जो व्यक्ति 65 साल से ऊपर का हो गया है जो किसी तरह की पेंशन नहीं पाता है, जो सरकार कर्मचारी होकर रिटायर नहीं हुआ है. उनको सबको पेंशन देने का प्रस्ताव बना कर के काम करने की आवश्यकता है. मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको भी शामिल करने का काम करें. (व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष द्वारा भगवा तौलिया ओढ़ कर सदन में प्रवेश किया गया)

एक माननीय सदस्य—माननीय प्रतिपक्ष के नेता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सांकेतिक रूप से वे हमारी पार्टी में आने का संकेत सदन में दे रहे हैं.

श्री मुकेश नायक—माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि अगर व्यापम के आरोप अगर सिद्ध हो गये तो वे सन्यास ले लेंगे. व्यापम के आरोप,पी.एस.सी. के आरोप सिद्ध हो चुके हैं और इसलिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता ये जो तौलिया पहने हुए हैं ये मुख्यमंत्री जी के लिए है (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपनी भांजी को गलत तरीके से पी.एस.सी. में सिलेक्ट करवाया ये सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है और सरकार जब स्वीकार कर चुकी है तो वे ये ले जाएं और अब वे सन्यासी हो जायें और ये कमण्डल भी उनको दे दिया जाय, ये उनके लिए व्यवस्था है. ये ले जाओ उनके पास. (व्यवधान)

(श्री बाला बच्चन जी कमण्डल,घंटी और भगवा वस्त्र को सदन के पटल पर रख कर अपने आसन पर चले गये)

सभापति महोदय—ये सब सदन में नहीं करेंगे. गौतम जी आप चर्चा चालू रखें.

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—(व्यवधान) सभापति महोदय, हमने मंत्री का उत्तर पढ़ा. उसको पढ़ने के बाद हम ये लेकर आए हैं. (व्यवधान) हमने दो दिन इंतजार किया, सरकार का उत्तर आने के बाद. मंत्री का उत्तर पढ़ने के बाद. उसके बाद हम ये लेकर आए हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—सभापति जी जनता ने इनको तीन बार सन्यास दे दिया. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—सभापति जी, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि यदि एक भी आरोप सिद्ध हो जाय तो मैं सन्यास ले लूंगा. उनकी भांजी का गलत सिलेक्शन हुआ ये सरकार ने भी स्वीकार किया. (व्यवधान) इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुख्यमंत्री जी से कहिये कि वे सन्यास लें. उनके लिए हम ये कपड़े ले आए हैं और पूरी व्यवस्था कर दी है.

सभापति महोदय—इस समय ये सब करना उचित नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे—सभापति जी, हमारी आपसे प्रार्थना है , आप बहुत सज्जन आदमी हैं अब आप उनको ये पहुंचा दे.. (व्यवधान)

सभापति महोदय—देखिये आप एक जिम्मेदार पद पर हैं. ये उचित नहीं है. (व्यवधान)कटारे जी ये उचित नहीं है, मांग संख्या का अभी जवाब आ रहा है.

श्री सत्यदेव कटारे—सभापति जी अब तो सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं बचा है कि मुख्यमंत्री जी सन्यास लें. आपके मंत्री ने स्वीकार किया है कि ऋतु चौहान के दस्तावेजों में त्रुटि थी. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा- (व्यवधान) आपकी बात आपके दल के लोग स्वीकार नहीं करते.

श्री सत्यदेव कटारे—आप दल की चिन्ता छोड़ो अपनी चिन्ता करो. अपनी. सभापति जी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि एक भी आरोप सिद्ध हो जाय, आरोप सिद्ध हो गए. सदन में मंत्री ने उत्तर दिया. सरकार ने सदन में उत्तर दिया (व्यवधान) हमने नहीं दिया.आपका मंत्री उत्तर दे रहा है. आप कहां थे. दस्तावेज गलत थे, मुख्यमंत्री जी की भांजी चयनित हो गई. ऐसा क्यों हुआ? (व्यवधान)..

12.45 बजे {उपाध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए}

श्री सत्यदेव कटारे—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में और सदन के बाहर भी कहा था कि एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो सरकार का उत्तर आने के बाद आरोप सिद्ध हो गया. सरकार के उत्तर तक हमने प्रतीक्षा की, दो दिन तक हम कुछ नहीं बोले, दो दिन बाद हमने देखा कि सरकार का उत्तर आ गया, हमने पढ़ लिया, मंत्री का उत्तर पढ़ने के बाद हम सदन में आए. सदन में यह बात आ चुकी है.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें. मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से इन वस्तुओं का इस सदन में प्रदर्शन करना उचित है. सदन की चलती हुई कार्यवाही में, बजट की चर्चा में इस तरह से इन वस्तुओं का प्रदर्शन करने की क्या इन्होंने अनुमति ली? और लाए हैं तो किस नियम और किस प्रक्रिया से लाए है? मैं आपसे यह भी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से लाने का अधिकार है?

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी मैं व्यवस्था दूंगा.

एक माननीय सदस्य—यह नौटंकी कर रहे हैं. पेपर में नाप छपने के लिए यह ऐसा कर रहे हैं (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—समाचार पत्रों में स्थान पाने के लिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन की परंपराओं का इस तरह से माखौल उड़ाया जायगा, यह बहुत चिंता की बात है. सवाल नरोत्तम मिश्रा का नहीं है. सवाल सदन का मर्यादाओं का पालन करने का है, नहीं तो सदन कैसे चलेगा? आप व्यवस्था दीजिए. यह निंदा की बात है. इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्रीजी बैठ जाएं, इस पर हम व्यवस्था देंगे. पहले विचार कर लेने दीजिए.

श्री सत्यदेव कटारे—उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी सुन लीजिए.

उपाध्यक्ष महोदय—संक्षेप में आप अपनी बात कहें.

श्री सत्यदेव कटारे—उपाध्यक्ष महोदय, हमने सदन में आरोप लगाए थे और कुछ दस्तावेज रखे थे. जब सरकार ने उत्तर दिया, सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य जी ने उत्तर

दिया तो उन्होंने उन गल्तियों को स्वीकार किया, हमने दो दिन तक इंतेजार किया, मंत्री के उत्तर की जब प्रतिलिपि बुलवा ली, मंत्री का उत्तर पढ़कर जब मैंने समाधान कर लिया कि हमारे लगाए आरोपों को मंत्री जी ने स्वीकार किया है और सरकार,मुख्यमंत्री जी घेरे में हैं, अपनी भांजी को गलत तरीके से चयन करवाने के लिए, यह सरकार ने स्वीकार किया है. सरकार के उत्तर में है.

उपाध्यक्ष महोदय—यह विषय अब नहीं आएगा.

श्री सत्यदेव कटारे—चूंकि उन्होंने घोषणा की थी कि एक भी आरोप सिद्ध हो जाएगा तो वह सन्यास ले लेंगे. अब वह तो सदन छोड़कर भाग गए.

उपाध्यक्ष महोदय—बजट पर चर्चा चल रही थी, यह गलत है.

श्री सत्यदेव कटारे—सरकार के उत्तर से वह बात सिद्ध हो गई है, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं. उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं....

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दीजिए.

उपाध्यक्ष महोदय—मैं व्यवस्था दूंगा.

एक माननीय सदस्य—इतने वरिष्ठ होने के बाद नेता प्रतिपक्ष कानून का उल्लंघन करते हैं, अपनी मर्यादाओं में नहीं रहते. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि चर्चा चल रही है बजट पर और चर्चा चलाई जाए.

उपाध्यक्ष महोदय—तिवारी जी सबसे उत्तम सुझाव आपका है.

श्री शंकरलाल तिवारी—यह कमंडल और वस्त्र सोनिया जी और राहुल जी को भेजा जाय और बताया जाय कि मध्यप्रदेश में उनकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र का मजाक किस तरह उड़ा रहा है. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—यह गलत है, देखिए संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, वह व्यवस्था चाहते हैं.

श्री सत्यदेव कटारे—उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी जी को माफी मांगनी चाहिए.

परिशिष्ट ''छह''

सत्यदेव कटारे
नेता प्रतिपक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा

कार्या. वि. स. : 0755-2440205, 2523005
निवास : 0755-2588020, 2600444
फैक्स : 2602484

क्र. 1233

दिनांक.........21.09.2014

प्रति,

प्रभारी सचिव,
विशेषाधिकार समिति,
मध्य प्रदेश विधान सभा,
भोपाल

विषय :- विशेषाधिकार भंग की सूचना बाबत्।

संदर्भ :- क्र.14581/वि.स/विशेषा./2014, दिनांक 23.07.2014,क्र.15845/वि.स/विशेषा./2014, दिनांक 21.08.2014 एवं क्र.16732/वि.स/विशेषा./2014, दिनांक 04.09.2014

---0---

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों के द्वारा मेरे विरूद्व माननीय डॉ0 गौरीशंकर शेजवार, डॉ0 नरोत्तम मिश्रा मंत्रीगण, म0प्र0शासन एवं सदस्यगण मा. सर्व श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, शैलेन्द्र जैन, शंकरलाल तिवारी द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया है।

इन सभी सूचनाओं में तथ्य एक जैसे ही हैं। सूचनाओं में यह उल्लेखित किया है कि "दिनांक 09.07.2014 को जब सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी और आसंदी पर माननीय सभापति विराजमान थे और उस समय मान. श्री गिरीश गौतम अपना भाषण दे रहे थे तब मैंने भगवा तौलिया ओढकर सदन में प्रवेश किया। सूचना में यह भी उल्लेखित किया है कि माननीय कटारे जी बिना अनुमति के सदन में ये वस्तुएं लेकर आये और उनका प्रदर्शन किया। विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में इस तरह से सदन में वस्तुएं को लाने अथवा प्रदर्शन करना वर्जित है। निश्चित रूप से श्री कटारे ने जो कृत्य किया है वह न केवल आपत्तिजनक है अपितु सदन के विशेषाधिकार को भंग करता है।"

यह वस्तुएं मैंने सदन के पटल पर नहीं रखीं, संलग्न कार्यवाही में भी यह उल्लेख है कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा भगवा तौलिया औढकर सदन में प्रवेश किया गया। केवल इस सदन में ही नहीं अपितु संसद और अन्य राज्य विधान मंडलों के सदनों में भी पक्ष-विपक्ष के सदस्य इस तरह से प्रदर्शन करते रहे हैं और इसे विरोध के तरीके के रूप में ही मान्य किया गया है। कई बार सदस्य भी गर्भ गृह में आते हैं, नारेवाजी करते हैं और कई वार धरना भी देते हैं। हालॅाकि नियमों में ऐसा करना वर्जित है तथापि प्रदर्शन होता है किन्तु इसे विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाता है। यदि नियमों के उल्लंघन का या इस तरह की घटनाओं को विशेषाधिकार भंग माना जाना लगेगा तो न केवल

सत्यदेव कटारे
नेता प्रतिपक्ष
मध्य प्रदेश विधान सभा

कार्या. वि. स. : 0755-2440205, 2523005
निवास : 0755-2588020, 2600444
फैक्स : 2602484

क्र. दिनांक .....

विशेषाधिकार का महत्व कम होगा अपितु सदन में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन करने की भूमिका भी कहीं न कहीं आहत होगी।

प्रकरण में विचारणीय है कि क्या शिकायतकर्ता समिति में बैठकर हमें न्याय प्रदान कर सकते हैं?

इस संबंध में कौल एवं शकधर की पुस्तक "संसदीय पद्वति और प्रक्रिया" तीसरा हिन्दी संस्करण वर्ष 2012 के पृष्ठ 338 के पॉचवे पैरा में भी यह उल्लेखित है कि **"नियमों, परिपाटियों तथा प्रथाओं के उल्लंघन को विशेषाधिकार हनन नहीं माना जाता।"** छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि मेरे द्वारा भगवा तौलया ओढकर सदन में आना या अन्य कोई वस्तुओं को सदन में लाने से विशेषाधिकार भंग नहीं होता है। मेरे विरूद्व विशेषाधिकार भंग लाने का कारण मेरे द्वारा नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निडरता से निर्वहन किया जाना है, जिसे प्रभावित करने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया है, जिसका प्रमाण है कि स्वयं संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य मंत्री की ओर से सदन के नेता प्रतिपक्ष के विरूद्व विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई। जबकि संसदीय इतिहास में और कम से कम मध्य प्रदेश विधान में ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः अनुरोध है कि इस प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

संलग्न : 01

(सत्यदेव कटारे)

जानकारी प्राप्त कर लेना और उसका प्रचार करना गलत है। इसमें संदेह नहीं कि उस समाचारपत्र के लिए ऐसा करना उचित नहीं था।[286]

प्रधानमंत्री द्वारा 17 नवम्बर, 1950 को सभा में दिए गए आश्वासन के अनुसरण में सरकार ने चीनी के आयात के संबंध में आरोपों की जांच करने के लिए गंगानाथ समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति के प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखे जाने से पहले जब उसके निष्कर्ष प्रेस को जारी कर दिए गए तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया। 5 अप्रैल, 1951 को उपाध्यक्ष ने विनिर्णय दिया:

.... यह समिति सभा ने नियुक्त नहीं की थी और इस समिति पर अपना प्रतिवेदन सभा को देने की जिम्मेदारी नहीं थी।... इसमें संदेह नहीं कि यदि कोई समिति सरकार द्वारा सभा के किसी संकल्प या उसकी इच्छा के अनुसरण में नियुक्त की जाती है, न कि स्वतंत्र रूप से तो जब सभा की बैठक हो रही हो तो सभा यह आशा तो करेगी ही कि समिति को कार्यवाही की सूचना पहले सभा को दी जाये। इस बात को देखते हुए इस मामले में कोई भी विशेषाधिकार हनन नहीं हुआ है।[287]

जब किसी समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया हो तो सदस्यों को इस प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध कराने से पहले समाचारपत्रों में इसका प्रकाशन अवांछनीय है, लेकिन यह सभा का विशेषाधिकार हनन नहीं है।[288]

नियमों, परिपाटियों तथा प्रथाओं के उल्लंघन को विशेषाधिकार हनन नहीं माना जाता। यदि नियमों आदि का उल्लंघन किया जाये तो यह अध्यक्ष की अप्रसन्नता अथवा उपयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से सभा की निंदा का हेतु हो सकता है।[289]

यदि समाचारपत्रों में अथवा रेडियो या टेलीविजन पर किसी सदस्य का पूरा भाषण न प्रस्तुत किया जाए या उसके भाषण का सारांश ही दिया जाये तो इसमें कोई विशेषाधिकार हनन नहीं है। यदि किसी भाषण विशेष को उतना ही स्थान न दिया जाये जितना कि दूसरे भाषणों को दिया गया हो या उसे प्रमुख स्थान न दिया जाये, तो भी कोई विशेषाधिकार हनन नहीं होता।

यदि किसी आपराधिक आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति से सभा को संबोधित ऐसी याचिका का प्रपत्र जो किसी सदस्य के माध्यम से सभा के समक्ष पेश किया जाना हो, बरामद किया जाए, तो उसको भी सभा का विशेषाधिकार हनन या अवमानना नहीं समझा जाता।[290]

अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान किसी सदस्य का अवांछनीय, अमर्यादित और अशोभनीय व्यवहार विशेषाधिकार हनन अथवा सभा की अवमानना का मामला नहीं है लेकिन सदस्यों के आचरण और उनके द्वारा सभा में शिष्टाचार और मर्यादा बनाए रखने का मामला है।[291]

---

286. *एल.एस. डिबेट्स*, 5.9.1955, कॉ. 12183-85 ।

287. *पी. डिबेट्स* (II), 5.4.1951, कॉ 5981-82 ।

288. *पार्लियामेंटरी डिबेट्स* (1893-94) 14, कॉ. 812; *एच.सी. डिबेट्स* (1947-48) 54, कॉ. 1125-26 ।

289. *लो.स.वा.वि.*, 12.8.1966, पृ. 100-101; 15.4.1987, पृ. 397-400 ।

290. तीसरा प्रतिवेदन (विशेषाधिकार समिति—तीसरी लोक सभा)।

291. *लो.स.वा.वि.*, 20.2.1968, पृ. 972-973, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के आचरण संबंधी समिति (1971) का पहला और दूसरा प्रतिवेदन जो क्रमशः 15.11.1971 और 14.4.1972 को सभा में प्रस्तुत किए गए।

परिशिष्ट ''सात''

सत्यदेव कटारे
नेता प्रतिपक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा

कार्या वि. भ. : 0755-2440205, 2523005
निवास : 0755-2588020, 2600444
फैक्स : 2602484

क्र. 1379

दिनांक 28.10.2014

प्रति,

सचिव,
मध्य प्रदेश विधान सभा,
भोपाल

संदर्भ :– क्र.14581/वि स/विशेषा./2014, दिनांक 23.07.2014,क्र.15845/वि.स/विशेषा./2014, दिनांक 21.08.2014, क्र.16732/वि.स/विशेषा./2014, दिनांक 04.09.2014 क्र.18782/विस/विशेषा/2014, दिनांक 7.10.2014 एवं मेरा पत्र क्र. 1233, दिनांक 21.09.2014

—0—

विधान सभा सचिवालय के संदर्भित पत्रों के अनुपालन में मेरे द्वारा पूर्व में संदर्भित पत्र दिनांक 21.09.2014 के माध्यम से जबाब प्रेषित किया जा चुका है।

मेरा उद्देश्य सदन अथवा सदन के किसी माननीय सदस्यों की भावना को आहत करने का नहीं था, फिर भी यदि सदन या किसी माननीय सदस्य की भावनाएं आहत हुई है, तो मुझे खेद प्रकट करने में आपत्ति नहीं है। मैं खेद प्रकट करता हूँ। अतः अनुरोध है कि खेट प्रकट करने के बाद प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

(सत्यदेव कटारे)

परिशिष्ट ''आठ''

बाला बच्चन
B.E. (Electronics)
विधायक – विधानसभा क्षेत्र क्रं. 188
राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)
सचिव – अ.भा.कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली
सदस्य – राष्ट्रीय कार्यकारिणी अ.भा.
आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली

निवास –
डी – 29, उपान्त कॉलोनी
चार इमली, भोपाल
ग्राम कासेल, पोस्ट साली (भागसुर)
तह. राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)
दूरभाष : 07284–255355
मो. : 94250 10299, 99931 19999

क्रमांक

दिनांक 16/09/2014

प्रति,
श्री उमाशंकर रघुवंशी,
सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा

विषयः– वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण भेजने बावत्।
संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रं. 14316 वि.स./विशेषा./2014 भोपाल, दिनांक 21/07/2014.
2. आपका पत्र क्रं. 921 वि.स./विशेषा./2014 भोपाल, दिनांक 23/07/2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मेरे विरूद्ध माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार, माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय सदस्यगण सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्री शैलेन्द्र जैन एवं श्री शंकरलाल तिवारी द्वारा विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई है। इस संबंध में मेरा कथन एवं स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:–

यह कि मै चौथी बार माननीय जनता द्वारा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं तथा मैंने अपने संपूर्ण कार्यकाल में सदन की मर्यादा एवं असान्दी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। जैसा की सदन की कार्यवाही से स्पष्ट है कि मैंने कोई भी ऐसी वस्तु जो कि वांछित नही है सदन में लेकर प्रवेश नही किया है। सदन की कार्यवाही विवरण से यह भी स्पष्ट है कि मैंने सदन के किसी कार्य में बाधा उत्पन्न नही की है। मैं सदन में अपने प्रश्नों से संबंधित कुछ बिन्दुओं का अध्ययन कर रहा था तथा मुझे अनुदान मांगो पर बोलना था, इसलिये मैं तथ्यों का परीक्षण अपनी सीट पर बैठकर कर रहा था, संभवतः उसी समय किसी सम्माननीय सदस्य ने मुझे कोई छोटी–मोटी वस्तु दी जिसे मैंने बिना किसी दुर्भावना अथवा इरादे के बिना देखे वहां उपस्थित किसी कर्मचारी को दे दिया तथा सदन के पटल पर नही रखा। मैं विपक्ष का एक वरिष्ठ विधायक हूं तथाएक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को सदन में कैसे निर्वाह किया जाता है, इसका मुझे ज्ञान है।

मुझे ऐसा आभास होता है कि मेरे विरूद्ध षडयंत्र एवं साजिश के तहत यह विशेषाधिकार भंग की सूचना लाई गई है, क्योंकि माननीय सदस्यगण सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया एवं श्री शैलेन्द्र जैन स्वयं ही विशेषाधिकार समिति के सदस्य है। मुझे आश्चर्य है कि आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य ही इस प्रकरण में न्याय करने जा रहे है, फिर मैं न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता हूं।

सदन की परंपरा रही है सत्तापक्ष की गलत नीतियों की ओर ध्यानकार्षण करने के लिये विपक्ष सदैव अपने मर्यादित व्यवहार के साथ कार्य करता है।

माननीय श्री गिरीश गौतम जी का वक्तव्य चल रहा था और मैं उसे ध्यानसे सुन रहा था क्योंकि उसी दिन मुझे भी बोलना था, इसलिये वो वस्तु कर्मचारी ने लेकर कहां रखी, मुझे ध्यान नही है क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त था।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मैंने ऐसा कोई कार्य नही किया, जिससे कि आसन्दी का कोई असम्मान हो अथवा विशेषाधिकार भंग हो।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पूरी आस्था एवं विश्वास है तथा मैंने कभी भी विशेषाधिकार उल्लंघन नही किया है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

आदर सहित।

आपका

(बाला बच्चन)

परिशिष्ट ''नौ''

बाला बच्चन
B.E. (Electronics)
विधायक – विधानसभा क्षेत्र क्रं. 188
राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)
सचिव– अ.भा.कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली
सदस्य– राष्ट्रीय कार्यकारिणी अ.भा.
आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली

निवास –
डी–29, उपान्त कॉलोनी
चार इमली, भोपाल
ग्राम कासेल, पोस्ट साली (भागसुर)
तह. राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)
दूरभाष : 07284–255355
मो. : 94250 10299, 99931 19999

क्रमांक

दिनांक 07–10–2014

प्रति,

श्री उमाशंकर रघुवंशी,
सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा,
भोपाल ।

विषय :– **वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण भेजने बावत् ।**

संदर्भ :– मेरा पत्र दिनांक 16.09.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.09.2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मैने यह स्पष्ट किया है कि मेरा सदन की किसी भी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने अथवा सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं रहा है, किन्तु यदि समिति ऐसा महसूस करती है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ ।

आदर सहित

आपका

शाकेमुभो—1163—असविस—16-3-16—450 प्रतियां.